	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 05, सोमवार, *शाके* 1945-जून 26, 2023 *Asadha 05, Monday , Saka 1945- June 26, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 04, 2023

संख्या प.31(7)गृह-9/2022 :-मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये ग्राम के वर्णित क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें 31 मार्च 2052 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विति हेतु सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, सीमा सुरक्षा बल, जिला जोधपुर को स्माल आर्म्स फायरिंग रेंज हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

क्षेत्र का विवरण

ग्राम दईजर तह. एवं जिला जोधपुर की आराजी खसरा नं. 138 रकबा 1604-18 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड राजकीय भूमि में से 692 बीघा 10 बिस्वा भूमि ।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।